लैंड पूलिंग नीति

दिल्ली विकास प्राधिकरण
लैंड पूलिंग कक्ष
तृतीय तल, विकास मीनार
आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली-110002

लैंड पूलिंग क्या है ?

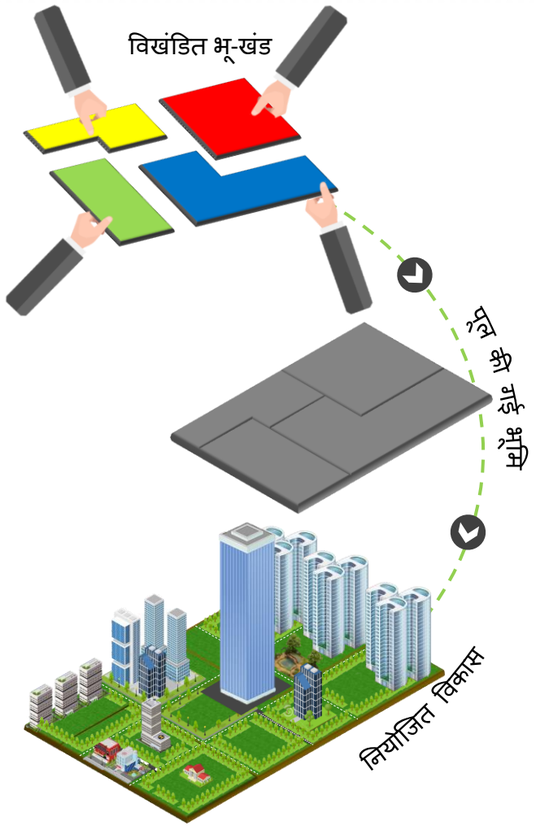

नीति कहां लागू है ?

5 जोन | 95 गांव

नीति के मार्गदर्शी सिद्धांत क्या हैं ?

1 पूलिंग का आधार
क्षेत्रीय विकास योजनाओं में वर्णित सेक्टरों के आधार पर भूमि की पूलिंग की जाएगी।

2 न्यूनतम अपेक्षित क्षेत्र
सेक्टर को विकास योग्य बनाने के लिए सेक्टर के अंदर विकास योग्य क्षेत्र की न्यूनतम 70 प्रतिशत समीपवर्ती भूमि, जो बाधाओं से मुक्त हो, को पूल किए जाने की आवश्यकता होगी।

3 पूल की गई भूमि का ब्यौरा
भू-स्वामी/कंसोर्टियम पूल की गई भूमि का 60 प्रतिशत अपने पास रखेंगे और शेष 40 प्रतिशत को जब भी दि.वि.प्रा./सेवा प्रदाता एजेंसी को आवश्यकता होगी, उसे सौंप देंगे।

4 कंसोर्टियम दवारा विकास
नीति के अनुसार 60 प्रतिशत भूमि का उपयोग कंसोर्टियम/भू-स्वामी द्वारा, आवासीय, व्यावसायिक, सार्वजनिक एवं अर्ध-सार्वजनिक सुविधाओं के विकास हेतु किया जाएगा।

5 कार्यान्वयन योजना
कंसोर्टियम 'कार्यान्वयन योजना' के तहत विकसित भूमि/निर्मित स्थल के पुन: वितरण हेतु भूमि स्वामियों के साथ पारस्परिक रूप से एक फार्मूला निर्धारित करेंगे तथा इसकी जानकारी दि.वि.प्रा. को देंगे। oo

6 बाह्य विकास प्रभार (ई.डी.सी.)
नगर-स्तरीय आधारिक संरचना की व्यवस्था करने की वास्तविक लागत को पूरा करने के लिए पूल की गई भूमि के सम्पूर्ण क्षेत्र पर बाह्य विकास प्रभार (ई.डी.सी.) लागू होगा।

7 पृथक् विकासकर्ता संस्था (डी.ई.)
पूल की गई न्यूनतम 2 हेक्टेयर भूमि वाले भू-स्वामियों/भू-स्वामियों का समूह पृथक् विकासकर्ता संस्था (डी.ई.) के रूप में कार्य करने का विकल्प चुन सकते हैं।

कंसोर्टियम की भूमिका

- 01 दिशा-निर्देशों के अनुसार ले-आउट/स्थल प्लान तैयार करना।
- 02 बाह्य विकास प्रभारों (ई.डी.सी.) का समय पर भुगतान।
- 03 ले-आउट प्लान एवं साइट प्लान का अनुमोदन प्राप्त करना।
- 04 समयबद्ध विकास एवं रखरखाव।
- 05 आधारिक संरचना के विकास हेतु अधिग्रहण की लागत को वहन करना।

दि.वि.प्रा. की भूमिका

- 01 नीति का निर्बाध और निष्पक्ष कार्यान्वयन सुनिश्चित करना।
- 02 योजना निगरानी और शिकायत निवारण।
- 03 क्षेत्रीय विकास योजनाओं और सेक्टर रूप-रेखा में संशोधन।
- 04 किसी सेक्टर में नीति को कार्यान्वित करने के लिए अपेक्षित किसी भी भूमि का अधिग्रहण।

मेरी भागीदारी किस प्रकार आस-पास के स्थानों को बेहतर बनाएगी?

लैंड पूलिंग नीति के क्या लाभ है?

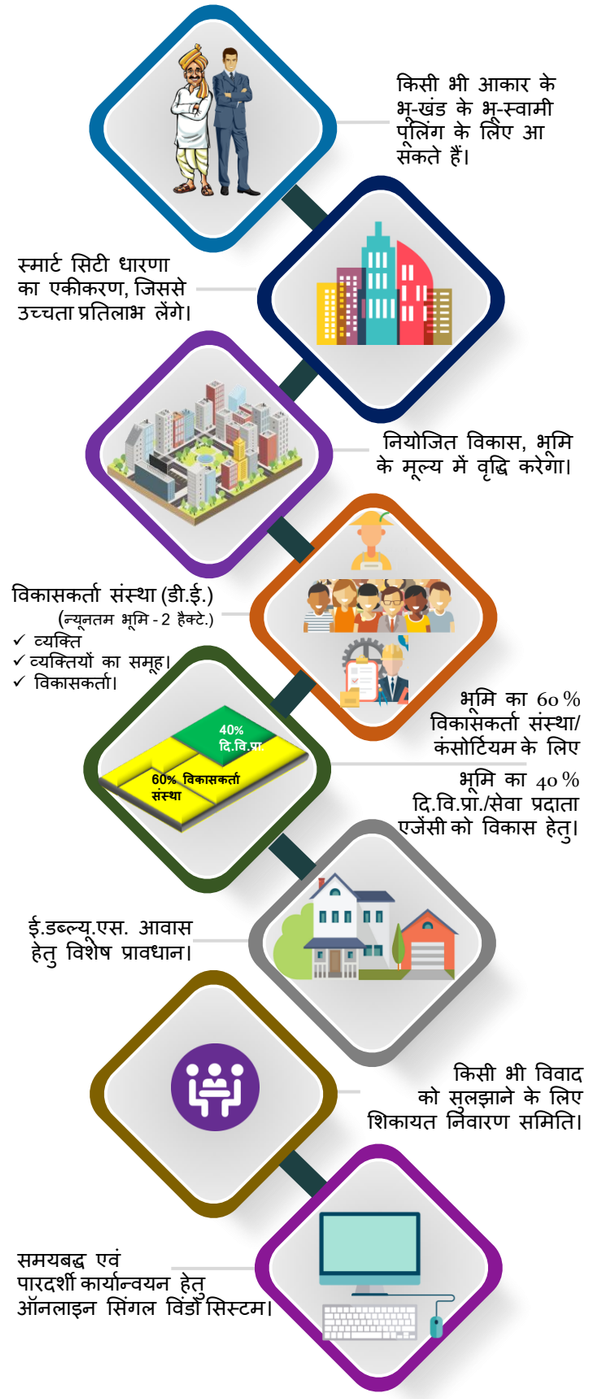

लैंड पूलिंग नीति

दिल्ली विकास प्राधिकरण
लैंड पूलिंग कक्ष
तृतीय तल, विकास मीनार
आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली-110002

लैंड पूलिंग प्रक्रिया

***रेरा एक्ट, 2016 के प्रावधान, उपर्युक्त भूमि पूलिंग प्रक्रिया पर प्रबल हैं और सभी डी.ई. / प्रमोटर अनिवार्य रूप से रेरा के तहत अपनी परियोजनाओं को पंजीकृत करने के लिए बाध्य हैं।**

स्पष्टीकरण:-इस पैम्फलेट में इस्तेमाल किए गए ग्राफिक्स केवल गैर-लाभकारी शैक्षिक उद्देश्य के लिए हैं और किसी भी कॉपीराइट उल्लंघन की परिधि में शामिल नहीं किए जा सकते हैं उनसे छूट दी जा सकती है। पैम्फलेट में दी गई जानकारी केंद्र सरकार/दि.वि.प्रा. द्वारा अधिसूचित लैंड पूलिंग नीति/विनियमों पर आधारित है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण

दिल्ली की लैंड पूलिंग नीति - 2018

नीति/विनियमों के बारे में अधिक जानकारी और लैंड पूलिंग स्कीम के अंतर्गत भागीदारी हेतु इच्छा की अभिव्यक्ति के लिए वेब पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण हेतु लिंक निम्नानुसार है:
https://online.dda.org.in/landpooling/AppForm/default.aspx
योजना जोन जे, के-I, एल, एन एवं पी-II में आने वाले किसी भी आकार के भू-खण्ड के भू-स्वामियों को नीति के अंतर्गत भागीदारी हेतु पोर्टल पर स्वयं को पंजीकृत करना होगा।

दिल्ली विकास प्राधिकरण
लैंड पूलिंग कक्ष
तृतीय तल, विकास मीनार
आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली-110002
फोन नं. 011-23378518